

न्याया:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

समक्ष – वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विशेष सत्र प्रकरण क० 58/2009

संस्थापन दिनांक-06-11-2009

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पी०के० शर्मा  
कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्ष०क०वि०वि०क०लि०  
मालनपुर, जिला भिण्ड म०प्र०

.....परिवादी

**बनाम**

पूरन सिंह राठौर पुत्र स्व. श्री सुमेर सिंह राठौर, उम्र 56 वर्ष,  
निवासी ग्राम लहचूरा, थाना मालनपुर, जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

आरोपी द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 11.07.2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपी के द्वारा दिनांक 16-08-2009 को 01:45 बजे ग्राम लहचूरे का पुरा थाना मालनपुर में रहे परिसर में लगी आटा चक्की को विद्युत विभाग की एल.टी. लाइन से केबिल के तीन कोर की केबिल से सीधे तार डालकर विद्युत उर्जा की चोरी कर परिवादी कम्पनी को 182472/- रूपए की राशि की उर्जा चोरी करने के संबंध में उसके विरुद्ध धारा 135 (1) क विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध के संबंध में आरोप लगाया गया है।

02. परिवादी का परिवादपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी पी०के० शर्मा कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्ष०क०वि०वि०क०लि० मालनपुर के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का परिवादपत्र पेश किया गया है कि 16.08.2009 को दोपहर 01:45 बजे ग्राम लहचूरा थाना मालनपुर तहसील गोहद में स्थित

आरोपी के घर/व्यवसाय परिसर में निरीक्षण किया तो उसके द्वारा एल.टी. लाइन से तीन कोर की केबिल डायरेक्ट जोड़कर आटा चक्की चलाई जा रही थी। उक्त परिसर में पूर्व से कनेक्शन क्रमांक 90-01-1016395 सुमेर सिंह राठौर के नाम से स्थापित था जो कि बकाया राशि 182472/- रूपए होने से पूर्व में काटा जा चुका था। आरोपी विद्युत उर्जा की चोरी करते हुए सतर्कता दल ने निरीक्षण के दौरान पाया था जिसका पंचनामा तैयार किया गया, आरोपी की पुत्री सोनम राठौर के हस्ताक्षर कराए जाकर प्रति उसे प्रदान की गई साथ ही पंचनामा पर सतर्कता दल के सहायक अधीक्षणयंत्री एच.एस. गुप्ता, कार्यपालनयंत्री बी0के0 बाबू, कार्यपालन यंत्री आर. द्विवेदी, लाइन इंस्पेक्टर काशीराम व एल.एच. बीरेन्द्र दुवे ने हस्ताक्षर किए थे एवं मौके पर चोरी में प्रयुक्त काले रंग की केवल लम्बाई 40 फिट की जप्ती की गई। आरोपी द्वारा कथित चोरी में उर्जा क्षति राशि 71967/- रूपए एवं नियमानुसार कम्पाउंडिंग शुल्क जमा करने का नोटिस दिनांक 18.08.09 को दिया गया जिसे उसके द्वारा लेने से इन्कार किया। साथ ही उसके द्वारा कोई राशि जमा नहीं कराई गई। तदोपरांत परिवादपत्र धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी आर0द्विवेदी प0सा0 1, पी0के0शर्मा प0सा0 2, बी0के0बाबू प0सा0 3, एच0एस0गुप्ता प0सा0 4 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया और प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में सीताराम शर्मा बचाव साक्षी क्र01 का परीक्षण कराया गया है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

01. क्या आरोपी दिनांक 16.08.2009 को ग्राम लहचूरा का पुरा थाना मालनपुर में अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाया गया?

## 02. दण्डादेश यदि कोई हो?

### //साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

05. परिवादी की ओर से आरोपी पर अवैध रूप से विद्युत चोरी करने का आरोप लगाया है। संक्षेप में इस संबंध में परिवादी साक्षी आर0द्विवेदी प0सा0 1, बी0के0 बाबू प0सा0 3 एवं एच.एस. गुप्ता प0सा0 4 के इस आशय के कथन रहे हैं कि दिनांक 16.08.2009 को वह निरीक्षण हेतु मालनपुर में ग्राम लहचूरा गये थे। उस समय आरोपी के परिसर में कनेक्शन क्रमांक 90-01-1016395 जिस पर बकाया राशि थी को काट दिया था, आरोपी ने एल.टी. लाइन से सीधे तार डालकर चोरी करना पाया था, जबकि मीटर कटा हुआ था।

06. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि परिसर आरोप का नहीं है, वह दिल्ली में दुकान करता है और जिस व्यक्ति के नाम का कनेक्शन होना बताया जा रहा है प्रकरण में उस व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया है।

07. परिवादी की ओर से उक्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक को आरोपी के आधिपत्य में होना दर्शाया गया है, किन्तु यदि पंचनामा प्र.पी. 1 का अवलोकन किया जाए तो उपभोक्ता का नाम स्व0 सुमेरसिंह राठौर लेख है। परिवादी साक्षियों ने आरोपी पूरनसिंह राठौर के पिता का नाम सुमेरसिंह राठौर होना दर्शाया है।

08. प्र.पी. 1 का पंचनामा, प्र.पी. 2 का अनंतिम निर्धारण आदेश एवं प्र.पी. 3 की बिलिंग सीट प्रस्तुत की है। परिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभिकथित विद्युत सर्विस क्रमांक सुमेरसिंह राठौर के नाम से प्रदाय किया गया था।

09. प्रकरण में परिवादी साक्षियों ने यह भी आधार लिया है कि सुमेरसिंह के नाम पर जारी मीटर पर 182472/- रूपए की राशि अवशेष हो गई थी इसी कारण मीटर विच्छेदित कर दिया था, किन्तु इस संबंध में परिवादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। मीटर किस के द्वारा

विच्छेदित किया गया ऐसे किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

10. प्रकरण में आरोपी मौके पर पाया गया हो ऐसी भी परिस्थितियाँ नहीं हैं। प्रकरण में इस आशय के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि निरीक्षण किया गया स्थान आरोपी के स्वत्व अथवा आधिपत्य का था और न ही इस संबंध में कोई विश्वसनीय रूप से परिवादी साक्षियों के कथन रहे हैं। प्रकरण में मौके पर उपस्थित सोनम जिसके हस्ताक्षर होना प्र.पी. 1 के पंचनामा में साक्षी आर०द्विवेदी प०सा० 1 एवं एच.एस. गुप्ता प०सा० 4 ने अपने कथनों में व्यक्त किया है और यह आधार लिया है कि सोनम आरोपी की पुत्री है, किन्तु इस संबंध में साक्षीगण सोनम को व्यक्तिगत रूप से जानते हो ऐसा साक्षियों का कहना नहीं रहा है। मौके पर पाई गई सोनम आरोपी की ही पुत्री है इस आशय के भी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में परिवादी की ओर से मौके पर निरीक्षण के समय पाई गई सोनम को प्रकरण में सहआरोपी नहीं बनाया गया है और न ही उसको छोड़े जाने का कोई कारण भी दर्शित किया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि साक्षी बी०के० बाबू प०सा० 3 जो कि निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद होने दर्शाई गई परिवादी कहानी के विपरीत इस आशय के कथन करता है कि मौके पर आरोपी का लडका मौजूद था। आरोपी की लडकी मौजूद नहीं थी। यदि परिवादी साक्षी के कथनों का अवलोकन किया जाए तो आरोपी को इस प्रकरण में आरोपी के रूप में इसलिए संयोजित किया गया है कि सुमेशसिंह की मृत्यु हो चुकी है और आरोपी सुमेशसिंह का पुत्र है, किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि परिवादी की ओर से इस आशय की भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि सुमेशसिंह का एक मात्र पुत्र आरोपी पूरनसिंह है और सुमेशसिंह की उक्त सम्पत्ति जिसमें विद्युत मीटर लगा होना दर्शाया है में एक मात्र उत्तराधिकारी और आधिपत्यधारी आरोपी पूरनसिंह ही है।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा केवल मात्र संदेह के आधार पर आरोपी मृतक उपभोक्ता का पुत्र है उसे प्रकरण में आरोपी बना दिया गया है।

12. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। परिवादी को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया जाना ही होगा कि अभिकथित परिसर एक

मात्र आरोपी के स्वत्व अथवा आधिपत्य में था और आरोपी द्वारा ही सीधे तार डालकर विद्युत उर्जा की चोरी की जा रही थी।

13. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि दांडिक विधि शास्त्र केवल अनुमान, अटकलवाजी एवं संदेह के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने की अनुमति नहीं देती है और इसी कारण दांडिक प्रकरणों में परिवादी/अभियोजन पर अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने का सिद्धिभार होता है।

14. प्रश्नगत प्रकरण में परिवादी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें आरोपी के अपराध किए जाने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य न होकर परिवादी ने केवल संदेह के आधार पर यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि परिवादी अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा हो।

15. परिणामतः आरोपी को आरोपित अपराध धारा 135(1)(क) विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. प्रकरण में जप्तीपंचनामा प्र.पी. 1 के कॉलम नम्बर 9 में जप्तशुदा सम्पत्ति पर आरोपी ने कोई हक नहीं जताया है। अतः जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् राजसात की जावे।

17. आरोपी जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया )

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0